

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंप्रअ.-स्था.पद/2019/ 584 जयपुर,दिनांक: 27/03/20

**:: आदेश ::**

विभागीय आदेश क्रमांक 3598 दिनांक 26.09.2019 एवं 3646 दिनांक 03.10.2019 द्वारा श्री धर्मवीर श्योराण, पंचायत प्रसार अधिकारी को आदेशों की प्रतिक्षारत किया जाकर इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया गया। जिसकी पालना में श्री धर्मवीर श्योराण ने दिनांक 11.10.2019 को विभाग में उपस्थिति दी, जिनका पदस्थापन आदेश क्रमांक 359 दिनांक 25.02.2020 द्वारा जिला कलेक्ट्रेट झुन्झुनूं किया गया इस दौरान ये दिनांक 17.01.2020, 20.01.2020, 28.01.2020 एवं 29.01.2020 को आकस्मिक अवकाश पर रहे हैं।


इस संबंध में श्री धर्मवीर श्योराण, पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट झुन्झुनूं की दिनांक 11.10.2019 से दिनांक 25.02.2020 तक की ए.पी.ओ. अवधि को नियमित किया जाकर उक्त अवधि का वेतन जिला परिषद झुन्झुनूं में रिक्त रहे पंचायत प्रसार अधिकारी के पद के विरुद्ध आहरित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनूं।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर/झुन्झुनूं।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
5. श्री धर्मवीर श्योराण, पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट झुन्झुनूं।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II